HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY BOARD LIMITED.
(A State Govt. Undertaking)

Registered Office : Vidyut Bhawan, Kumar House, Shimla-171004.
Number (CIN) : U40109HP2009SGC031255
GST No. : HPSEBL 02AACCH4894EHZB
Telephone No. : 0177-2803600,2801675(Office),2658984(Fax)
Website Address : www.hpseb.com
Email : cmd@hpseb.in & directorfa@hpseb.in.

No.HPSEBL(Sectt.)/R&E Misc Govt. instt./2019-65322-44 Dt. 1-1-2020

Copy of above is forwarded to the following for information and necessary action.

1. All the Chief Engineers in HPSEB Ltd.
2. The Superintending Engineer (IT) HPSEBL, Shimla for uploading the HPSEBL website.
3. The Chief Accounts Officer, HPSEBL, Vidyut Bhawan, Shimla, -4.
4. All the Deputy Secretaries /Under Secretaries in Board Sectt.
5. The Deputy Director(P)/Joint Director (PR) in Board Sectt

DA_;As above .

Under Secretary (R&E),
HPSEBL, Vidyut Bhawan.
Shimla-4.

ग्रामीण विकास विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार

सं0 आर0डी0–एफ–(2)–1/2019 दिनांक 22 नवम्बर, 2019

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, ग्रामीण विकास विभाग में मुख्य मंत्री ग्राम कौशल योजना के लिये इस अधिसूचना से संलग्न अनुबन्ध 'क' के अनुसार योजना का निर्माण/कियान्वियन करते है अर्थात :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	इस योजना का संक्षिप्त नाम मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना है। यह योजना राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी तथा तब तक लागू रहेगी जब तक कि आधिकारिक तौर पर राजपत्र में राज्य सरकार इसे बन्द करने हेतू अधिसूचित न कर ले।

आदेशानुसार

डा0 आर.एन बत्ता
सचिव (ग्रामीण विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठाकंन संख्या उपरोक्तः दिनांक 22 नवम्बर, 2019

प्रतिलिपिः–

1 मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2.
2 समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
3 समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ हेतू प्रेषित हैं।
4 निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग शिमला–9.
5 समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ हेतू प्रेषित हैं।
6 रजिस्ट्रार, कापोरेटिव सोसाईटीज सहकार भवन, ब्लाक न0 25 एस0डी0ए0 कम्पलैक्स कुसुम्पटी शिमला.–9.
7 नियंत्रण मुद्रण एंव लेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश को आसाधरण राजपत्र में प्रकाशन हेतू।
8 डी.जी.एम.रीजन II, स्टेट बैक आफ इडिया, जोनल आफिस बी–40, कुसुम्पटी शिमला.–9.
9 जोनल मैनेजर,पी.एन.बी., जोनल ऑफिस रिजैन्ट हाऊस, शिमला।
10 उप महाप्रबंधक जोनल,यूको बैंक रिजनल ऑफिस होटल हिमलैण्ड, शिमला–1
11 अवर सचिव, सामान्य प्रशासन हिमाचल प्रदेश सरकार को मंत्रीमण्डल की बैठक दिनांक 25.10.2019 में मंद संख्या 40 के सदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित हैं।
12 रक्षक नस्ति ।

(मंजीत बंसल)
अवर सचिव (ग्रामीण विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार
दूरभाष न. 0177–2627810

अनुबन्ध "क"

मुख्य मंत्री ग्राम कौशल योजना

हिमाचल प्रदेश में अनेक पारम्परिक कलाएं व शिल्प हैं जिन पर आधारित उत्पादों की व्यापक व्यवसायिक सम्भावनाएं हैं। इन कलाओं और शिल्पों में बुनाई, कढाई (जैसे कि चम्बा रूमाल, जुराबें, टोपियां एंव अन्य उनी वस्त्र) कताई (शाल व परिधान), धातु एंव लकड़ी का काम, चित्रकारी (कांगडा एंव बसोली स्कूल), थंगका चित्रकारी, टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि। वर्तमान में भी प्रदेश में और प्रदेश के बाहर जाने जाते हैं। परन्तु धीरे–धीरे इन कलाओं और शिल्प को जानने और सिखाने वाले कामगारों की संख्या कम होती जा रही है। इन्हें बनाए रखने के लिए निरन्तर संर्वधन,पोषण और समर्थन की आवश्यकता है। यह भी अनुभव किया गया है कि इन कलाओं व शिल्पों को नये युवा शिक्षार्थी नहीं मिल पा रहे हैं और विपणन की बाधाएं भी वर्तमान पीढ़ी को इन कलाओं को सीखने के लिए उत्साहित नहीं कर पाती है। इस योजना का उद्देश्य पारम्परिक कला और शिल्प की विरासत को संरक्षित करना और पारम्परिक शिल्पकारों, कारीगरों की क्षमता का निर्माण करना तथा पारम्परिक शिल्प को स्थानीय तथा वैश्विक बाज़ार के साथ जोड़ना है।

मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना की विस्तृत संरचना निम्न प्रकार से है:–

1. <u>लक्ष्य</u>

(क) पारम्परिक कला और शिल्प को संरक्षित करना।
(ख) कारीगरों की क्षमता का निर्माण करना।
(ग) युवाओं को पारम्परिक कला और शिल्प को सीखने हेतु प्रोत्साहित करना।
(घ) बिक्री के अवसर उपलब्ध करवाना ।
(ड) बाज़ार की मांग के आधार पर नये उत्पादों को तैयार करना।
(च) उत्पादों का प्रचार, प्रसार व प्रदर्शन करना।
(छ) पारम्परिक शिल्पकारों और दस्तकारों को सम्मानित करना।

2. <u>उद्देश्य</u>

योजना का उद्देश्य क्षमता निर्माण, पारम्परिक कौशल को आधुनिक/सामायिक बनाना, पारम्परिक शिल्पकारों और दस्तकारों की पहचान करना, युवाओं को इन कलाओं / कौशलों को सीखने के लिए प्रेरित करना, प्रशिक्षण प्रदान करना तथा विमिन्न माध्यमों से बाज़ार से सर्म्पक स्थापित करवाना है।

3. विशेषज्ञ / प्रवीणता भागीदार व सलाहकार

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान।
(ख) पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान।
(ग) ऐसे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा संस्थान जिनके पास आवश्यक क्षमताएं, विशेषज्ञता तथा इस क्षेत्र में काम करने का कौशल व अनुभव उपलब्ध हो।
(घ) अन्य ऐसे संस्थान (कम्पनियां, सी.बी.ओ. तथा एन.जी.ओ.) अथवा व्यक्ति जिन्हें योजना के उद्देश्य की पूर्ती हेतु उपयुक्त पाया जायेगा।

4. विशेषज्ञ / प्रवीणता भागीदारों का चयनः–

प्रवीणता भागीदारों का चयन सचिव (ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में गठित शीर्ष समिति द्वारा किया जाएगा। जिलों द्वारा प्रवीणता भागीदारों/ सलाहकारों/एजैन्सियों की सिफारिश सम्बन्धित उपायुक्तों के माध्यम से शीर्ष समिति के विचारार्थ की जा सकती है।

5. योजना के संघटक

(क) मुख्य प्रशिक्षकों के माध्यम से इच्छुक व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
(ख) इच्छुक व्यक्तियों को प्रवीणता भागीदारों / परम्परागत कारीगरों / विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करना।
(ग) मुख्य शिल्पकार/दस्ताकार को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु संबल/समर्थन प्रदान करना।
(घ) कला और शिल्प केन्द्रों को स्थापित करने/प्रोन्नत करने हेतु समर्थन प्रदान करना।
(ड) शिल्पकार/दस्ताकार को शिल्प मेलों, कार्यशालाओं, हाट तथा शिल्प उत्सव आदि का आयोजन एंव स्थापन करने के माध्यम से समर्थन करना।
(च) प्रतिभावान मुख्य शिल्पकारों और दस्तकारों को मान्यता प्रदान करना।
(छ) सर्वेक्षणों के माध्यम से मांग का अध्ययन करना तथा मुख्यतः युवाओं को प्रेरित व प्रशिक्षित करना।
(ज) परम्परागत कौशलों की पहचान करना, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यकम तैयार करना, कौशल की क्षमताओं में वांछित प्रवीणता तंक पहुंचने के लिए कमियों को पहचानना एवं उन्हें दूर करना।

6. पारंम्पारिक कला एंव शिल्प की सूची बनाना और अधिसूचित करना

शीर्ष समिति समय–समय पर योजना के अर्न्तगत आवृत होने वाली पारम्पारिक कला एंव शिल्प कौशलों की सूची अधिसूचित करेगी।

7. मुख्य प्रशिक्षक

(क) भाषा, कला एंव संस्कृति विभाग, हि0प्र0 हस्तशिल्प एंव हथकरघा निगम, पर्यटन विभाग, उद्योग विभाग अथवा अन्य किसी सरकारी संस्था/एजैन्सी द्वारा प्रमाणित मुख्य प्रशिक्षक/प्रशिक्षक को इस योजना के अर्न्तगत मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त किया जा सकेगा।

(ख) सम्बन्धित उपायुक्त इस योजना के अर्न्तगत मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त कर सकेंगे।

(ग) खण्ड विकास अधिकारियों/उपमण्डलाधिकारियों/ पंचायतों द्वारा संस्तुतित मुख्य प्रशिक्षक/प्रशिक्षक/व्यक्ति को सम्बन्धित उपायुक्त इस योजना के अर्न्तगत मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त कर सकेंगे।

(घ) शीर्ष समिति द्वारा भी मुख्य प्रशिक्षक अथवा प्रवीणता संस्थान / विशेषज्ञता की योग्यता को प्रमाणित किया जा सकेगा तथा उन्हें प्रशिक्षण के लिए लगाया जा सकेगा।

(ड) यदि कोई प्रवीणता भागीदार/सलाहकार पारम्परिक शिल्पकारों को लेकर कौशल उन्नयन कार्यकम शुरू करना चाहे तो वे मुख्य कारीगर / प्रशिक्षक को नियुक्त करेंगे और एक मुख्य कारीगर/प्रशिक्षक एक विशेष कौशल / कला में अधिकतम् 30 प्रशिक्षुओं को एक बैच में प्रशिक्षित कर सकेंगे। स्वयं सहायता समूह भी प्रवीणता भागीदार हो सकते हैं। प्रवीणता भागीदार की गुणवत्ता का निरक्षण समय–समय पर सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा किया जाएगा।

8. प्रशिक्षण कार्यकम

(क) अधिसूचित शिल्प के पाठयकम की अवधि शीर्ष समिति द्वारा अधिसूचित की जाएगी जोकि शिल्प/कौशल के आधार पर न्यूनतम् 03 माह व अधिकतम एक वर्ष होगी। इसमें कोई भी छूट आवश्यकता पड़ने पर शीर्ष समिति द्वारा दी जा सकेगी।

(ख) एक माह में कम से कम 20 दिन तथा एक दिन में कम से कम 05 घण्टे का समय प्रशिक्षण प्रदान करने में लगाया जाएगा।

(ग) जिला स्तरीय समिति पाठयकम निश्चित एवं अधिसूचित करेगी। यदि किसी विशेष शिल्प/कौशल/कला में सामान्य पाठकम पहले से उपलब्ध हो जिसे किसी राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय सरकारी / प्राधिकृत संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त हो तो उसे जहां तक सम्भव हो उस पाठ्यकम को अपनाया जाएगा अन्यथा जिला समिति पाठ्यकम निर्धारित /अधिसूचित कर सकेगी।

9. मुख्य प्रशिक्षक

(क) एक मुख्य प्रशिक्षक एक बैच में अधिकतम् 05 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है।

(ख) मुख्य प्रशिक्षक को मु0 1500/– रू0 प्रतिमाह/प्रति प्रशिक्षु।

10. प्रशिक्षु

प्रशिक्षुओं को प्रतिमाह मु0 3000 रू0/ प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि के आधार पर प्रदान किया जाएगा। इस राशि में से 75 प्रतिशत पाठयक्रम की अवधि एवं शेष 25 प्रतिशत प्रशिक्षण अवधि के दौरान पूर्ण होने पर दिया जाएगा।

11. प्रमाणीकरण

(क) मुख्य प्रशिक्षक का प्रमाणीकरण राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन अनुसार किया जाएगा।

(ख) राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन प्रशिक्षुओं को कोर्स पूर्ण करने पर मुख्य प्रशिक्षक/प्रवीणता भागीदार तथा जिला स्तरीय समितियों की सिफारिश पर प्रमाण पत्र जारी करेगा।

12. शिल्प हाट

उद्योग विभाग/भाषा, कला एंव संस्कृति विभाग तथा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन व अन्य की सहभागिता से शिल्प हाट स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा तथा SHGs दुकानें, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अन्तर्गत स्वयं सहायता समुह के उत्पादों के लिए लगाये जाने वाले विपणन/ स्टाल व दुकानों में भी इस योजना के लाभार्थियों को प्रोत्साहन व उत्पादों की बिक्री के अवसर प्रदान किये जाऐगें।

13. मेले व उत्सव

पारम्परिक कला व शिल्प को बढावा देने हेतु मेलों तथा उत्सवों में इन कारीगरों की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किये जाऐंगे और आवश्यक्ता पड़ने पर शिल्प मेले भी आयोजित किये जाऐंगे। कारीगरों को राज्य तथा राज्य के बाहर स्लाट/स्थान की उपलब्धता के आधार पर अपने उत्पादों को बढावा देने हेतु विभिन्न प्रदर्शनियों तथा मेलों में भेजा जाएगा।

14. कार्यन्वयन एंव अनुश्रवण तन्त्र

योजना का राज्य स्तर पर पर्यवेक्षण शीर्ष समिति द्वारा तथा जिला स्तर पर इसका कार्यन्वयन एंव अनुश्रवण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। इसके लिए शीर्ष समिति अनुश्रवण तन्त्र अधिसूचित करेंगी।

(क) शीर्ष समिति

1. सचिव (ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज) हि0प्र0 सरकार (अध्यक्ष)
2. निदेशक, ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग, हि0प्र0।
3. निदेशक, उद्योग विभाग हि0प्र0।
4. निदेशक, भाषा, कला एंव संस्कृति विभाग, हि0प्र0।
5. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हि0प्र0।
6. प्रबन्ध निदेशक, हि0प्र0 हस्तशिल्प एंव हथकरघा निगम ।
7. पंजीयक, सहकारी सभाएं, हि0प्र0।
8. अधयक्ष द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ/राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता दस्तकार और शिल्पकार, जो शीर्ष समिति का सहयोग करेंगे।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (सदस्य सचिव)

(ख) जिला स्तरीय समिति

1. उपायुक्त (अध्यक्ष)
2. उप निदेशक एंव परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (सदस्य सचिव)
3. जिला पंचायत अधिकारी
4. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र
5. सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं
6. जिला स्तरीय बैंक समिति का प्रतिनिधि
7. उपायुक्त द्वारा नामिति विशेषज्ञ जो समिति का सहयोग करेगा।

(ग) खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी योजना का नोडल अधिकारी होगा।

15. प्रशासनिक मद व्यय

कुल बजट आबंटन का 02 प्रतिशत प्रशासनिक मद पर व्यय किया जाएगा व इस राशि का व्यय सभी प्रचार व प्रसार से सम्बन्धित गतिविधियों पर किया जाएगा। कोई भी स्थाई श्रमशक्ति नियुक्त नही की जाएगी।

****